इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 नवम्बर 2018—कार्तिक 11, शक 1940

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 2018

क्र. एफ 5-12-2017-एक(1).—उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री अशोक कुमार जोशी, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर को निम्नलिखित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ. क्र. (1)	अवकाश अवधि (2)	कुल दिन (3)	अवकाश का प्रकार (4)	अभियुक्ति (5)
01	दिनांक 4-9-2018 से दिनांक 07-9-2018 तक	04 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पूर्व में दिनांक 02 एवं 3 सितम्बर 2018 तथा अवकाश के पश्चात् दिनांक 8 एवं 9 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ अवस्थी, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2018

क्र. एफ 1(ए)347-1985-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा, श्री ऋषि कुमार शुक्ला, भापुसे, पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश, भोपाल को स्वयं के स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण दिनांक 15 अक्टूबर से 25 नवम्बर 2018 तक बयालीस दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में लघुकृत अवकाश खाते से 84 दिवस का अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री ऋषि कुमार शुक्ला, भापुसे को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ऋषि कुमार शुक्ला, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2018

क्र. एफ 1(बी) 35-17-बी-4-दो.—राज्य सेवा परीक्षा 2015 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर के पत्र क्र. 3615/59/2016/चयन, दिनांक 28 मई 2018 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुपूरक सूची के वरिष्ठता क्र. 17 (अनुक्रमांक 122861) पर चयन उपरांत नियुक्ति हेतु अनुशंसित सुश्री गर्भिता भिण्डे (अजजा-महिला) द्वारा, दिनांक 19-9-2018 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर यह लेख किया है कि वे उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करना चाहती है अतः उनके स्थान पर किसी अन्य को नियुक्ति दे दी जाये.

(2) अतः राज्य शासन, द्वारा सुश्री गर्भिता भिण्डे द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 19-9-2018 के आधार पर राज्य सेवा परीक्षा-2015 की उप पुलिस अधीक्षक की अनुपूरक सूची से उक्त पद पर इनका नियुक्ति संबंधी दावा सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2018

क्र. एफ 1-ए-254-88-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा श्री संजय राणा, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक/प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, भोपाल को खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष में 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए) गृह नगर के स्थान पर अवकाश सुविधा यात्रा के अन्तर्गत दिल्ली जाने हेतु दिनांक 26-27 एवं 29 अक्टूबर 2018 तक 03 दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 28 अक्टूबर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ परिवार के साथ निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा सुविधा एवं 10 दिवस के अर्जित अवकाश के नगदीकरण सहित स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1.	श्री संजय राणा	—	स्वयं
2.	श्रीमती वीरा राणा	—	पत्नी
3.	कु. अनिका राणा	—	पुत्री

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजय राणा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक/प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री संजय राणा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय राणा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)61-2009-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा, श्री नवलसिंह रघुवंशी, भापुसे, तत्का. पुलिस उप महानिरीक्षक (रेल), मध्यप्रदेश भोपाल के स्वयं के स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण दिनांक 15 जनवरी 2017 से 8 मार्च 2018 तक चार सौ सत्रह दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में लघुकृत खाते से 834 दिवस का अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री नवलसिंह रघुवंशी, भापुसे को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नवलसिंह रघुवंशी, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मुकाती, अवर सचिव.

विधी और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2018

फा. क्रमांक 3(ए)2017-इक्कीस-ब (एक) 4936.—(मेरिट क्रमांक 30), राज्य शासन, सुश्री संध्या मिश्रा पुत्री श्री देव नारायण मिश्रा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला देवास (म. प्र.) है. उसकी जन्मतिथि 13 जुलाई 1992 है.

फा. क्रमांक 3(ए)2017-इक्कीस-ब (एक) 5035.—(मेरिट क्रमांक 14), राज्य शासन, श्री अमोध अग्रवाल पुत्र श्री हरि शंकर अग्रवाल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी (म. प्र.) है. उसकी जन्मतिथि 12 जुलाई 1987 है.

फा. क्रमांक 3(ए)2017-इक्कीस-ब (एक) 5040.—(मेरिट क्रमांक 22), राज्य शासन, सुश्री अंकिता त्रिपाठी पुत्री श्री पदमेश त्रिपाठी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला बुरहानपुर (म. प्र.) है. उसकी जन्मतिथि 19 मार्च 1994 है.

फा. क्रमांक 3(ए)2017-इक्कीस-ब (एक) 5067.—(मेरिट क्रमांक 01), राज्य शासन, सुश्री सोनल गुप्ता पुत्री श्री राजकुमार गुप्ता को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला रायसेन (म. प्र.) है. उसकी जन्मतिथि 16 जनवरी, 1992 है.

फा. क्रमांक 3(ए)2017-इक्कीस-ब (एक) 5097.—(मेरिट क्रमांक 08), राज्य शासन, श्री शशांक नन्दन भट्ट पुत्र श्री देवकी नन्दन भट्ट को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला पिथौरागढ़ है. उसकी जन्मतिथि 10 जुलाई 1994 है.

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2018

फा. क्रमांक 3(ए)2017-इक्कीस-ब (एक) 4831.—(मेरिट क्रमांक 27), राज्य शासन, सुश्री प्रियंका कुशवाह पुत्री श्री बृजेश सिंह कुशवाह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर (म. प्र.) है. उसकी जन्मतिथि 26 अगस्त, 1987 है.

फा. क्रमांक 3(ए)2017-इक्कीस-ब (एक) 5076.—(मेरिट क्रमांक 64), राज्य शासन, सुश्री रंजना डोडवे पुत्री श्री नुरू सिंह डोडवे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला धार (म. प्र.) है. उसकी जन्मतिथि 17 नवम्बर 1994 है.

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2018

फा. क्रमांक 3(ए)2017-इक्कीस-ब (एक) 4509, (मेरिट क्रमांक 06), राज्य शासन, सुश्री अनुप्रेक्षा जैन पुत्री श्री अरविंद जैन को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सागर (म. प्र.) है. उसकी जन्मतिथि 9 मार्च 1993 है.

फा. क्रमांक 3(ए)2017-इक्कीस-ब (एक) 4970.—(मेरिट क्रमांक 17), राज्य शासन, सुश्री प्रिंसी गुप्ता पुत्री श्री राजेश कुमार गुप्ता को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला राजगढ़ (म. प्र.) है. उसकी जन्मतिथि 11 अक्टूबर 1994 है.

फा. क्रमांक 3(ए)2017-इक्कीस-ब (एक) 4989.—(मेरिट क्रमांक 20), राज्य शासन, सुश्री साक्षी मसीह पुत्री श्री अजय मसीह

को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090— 920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला दमोह (म. प्र.) है. उसकी जन्मतिथि 23 सितम्बर 1992 है.

फा. क्रमांक 3(ए)2017-इक्कीस-ब (एक) 5055.—(मेरिट क्रगांक 35), राज्य शासन, सुश्री सोनाक्षी जोशी पुत्री श्री अखिलेश जोशी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर (म. प्र.) है. उसकी जन्मतिथि 2 दिसम्बर 1992 है.

फा. क्रमांक 3(ए)2017-इक्कीस-ब (एक) 5080.—(मेरिट क्रमांक 21), राज्य शासन, सुश्री अदिति कुमार शर्मा पुत्री श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल (म. प्र.) है. उसकी जन्मतिथि 31 जनवरी 1987 है.

भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 2018

फा. क्र. I-1-2002-इक्कीस-ब(एक)-5241.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारी को एतद्द्वारा उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है:—

क्र. (1)	नाम एवं वर्तमान पद (2)	पदस्थापना (3)
1	श्री काशिफ नदीम खॉन, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय गुना के पद पर कुटुम्ब न्यायालय अशोकनगर के अतिरिक्त प्रभार के साथ.

उक्त अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2018

फा. क्र. 1 (सी) 2659-772-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला नरसिंहपुर के लिये उक्त अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री ठाकुर सूर्यप्रताप सिंह, अधिवक्ता (नामांकन क्र. एम. पी./714/98, दिनांक 28 अप्रैल 1998) को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.श्री ठाकुर सूर्यप्रताप सिंह, अधिवक्ता नरसिंहपुर की उक्त विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्मतिथि दिनांक 15 अगस्त 1970 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.

श्री ठाकुर सूर्यप्रताप सिंह, अधिवक्ता, नरसिंहपुर को ऐसे विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी) 3841-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 26 सितम्बर 2018 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-29-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

फा. क्र. 1 (सी) 3482-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला सीहोर के लिये उक्त अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री नारायण सिंह मेवाड़ा, अधिवक्ता (नामांकन क्र. एम. पी./779/2005, दिनांक 10 अप्रैल 2005) को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. श्री नारायण सिंह मेवाड़ा, अधिवक्ता की उक्त विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्मतिथि दिनांक 3 जून 1976 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.

श्री नारायण सिंह मेवाड़ा, अधिवक्ता, सीहोर को ऐसे विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी) 3841-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 26 सितम्बर 2018 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-29-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

फा. क्र. 1 (सी) 4006-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला इन्दौर के लिये उक्त अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री विशाल आनंद श्रीवास्तव, अधिवक्ता (नामांकन क्र. एम. पी./1354/99, दिनांक 26 मई 2014) को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. श्री विशाल आनंद श्रीवास्तव, अधिवक्ता की उक्त विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि दिनांक 25 मई 1973 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.

श्री विशाल आनंद श्रीवास्तव, अधिवक्ता, इन्दौर को ऐसे विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी) 3841-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 26 सितम्बर 2018 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-29-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

क्र. 5134-2018-इक्कीस-ब (एक) भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2018

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2018

क्र. तीन-10-40-78 (भाग-आठ).—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस संबंध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक सी/4666/तीन-10-40-78-सात, दिनांक 18 नवम्बर, 2016 जो "मध्यप्रदेश राजपत्र" दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है. उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 20 सिविल जिला हरदा तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

अनु. क्र.	सिविल जिलों का नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय	
		स्थान	न्यायालयों की संख्या	स्थान	न्यायालयों की संख्या	स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20	हरदा	हरदा	3	हरदा	3	हरदा	4
				खिरकिया	1		
						टिमरनी	1

No. III-10-40-78-VIII.—In the Notification of the High Court of Madhya Pradesh No. C/4666/III-10-40/78-VII, dated 18th November, 2016, issued in exercise of the powers conferred by sub-section 1 of Section 12 of the Madhya Pardesh Civil Court Act, 1958 (No. 19 of 1958), which was published in the "Madhya Pradesh Gazette" dated 16th December, 2016 following amendment is made. In the said notification in the table for the serial number 20 Civil District Harda the following entries are substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Court of Additional District Judges		Court of Civil Judges (Class-I)		Court of Civil Judges (Class-II)	
		Place	Number of Courts	Place	Number of Courts	Place	Number of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20	Harda	Harda	3	Harda	3	Harda	4
				Khirkiya	1	-	-
						Timarni	1

गंगाचरण शर्मा, अतिरिक्त सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
वरुण पुनासे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (डी. ई.)

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 25 सितम्बर 2018

क्र0–81..बंधक श्रमिक– 2018 बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा (3) के प्रावधान के अंतर्गत बंधक श्रमिको के कल्याण हेतु निम्नाकित अनुसार "जिला स्तरीय सतर्कता समिति, जिला सतना का गठन किया जाता है मध्यप्रदेश राजपत्र मे प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा"

धारा 13 (3)

(क) अध्यक्ष	1. कलेक्टर, जिला सतना
(ख) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित किये जाने हेतु तय किया गयाहै	1. पुलिस अधीक्षक, सतना 2. मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सतना 3. जिला संयोजक,आदिम जाति कल्याण विभाग, सतना
(ग) 2 सदस्य जो सामाजिक कार्यकर्ता उक्त अनुविभाग के निवासी हो	1. श्री राजेन्द्र साहू, भरहुत नगर सतना 2 श्री ददोली पाण्डे, डिलौरा सतना
(घ) 3 सदस्य अनुसूचित जाति एंव जन जाति के हो तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हो	1. श्री शंकर प्रजापति, बजरहा टोला सतना 2. श्री केशव कोरी, सिद्धार्थ नगर सतना 3 श्री कमलेश चौधरी, रामना टोला सतना
(ङ) 1 जो जिले मे वित्तीय और प्रत्यक्ष संस्थाओ का प्रतिनिधित्व करता है	1. प्रबंधक, लीड़ बैंक जिला सतना

क्र0–82..बंधक श्रमिक– 2018 बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा (3) के प्रावधान के अंतर्गत बंधक श्रमिको के कल्याण हेतु निम्नाकित अनुसार "अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति, रघुराजनगर, जिला सतना का गठन किया जाता है मध्यप्रदेश राजपत्र मे प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा"

धारा 13 (3)

(क) अध्यक्ष	1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रघुराजनगर
(ख) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित किये जाने हेतु तय किया गया है	1. थाना प्रभारी रघुराजनगर 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सोहावल 3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि अनुविभाग रघुराजनगर
(ग) 2 सदस्य जो सामाजिक कार्यकर्ता उक्त अनुविभाग के निवासी हो	1. श्री रामशिरोमणि जैसवाल, डिलौरा सतना 2. श्री संन्दर्भ सिह, सतना
(घ) 3 सदस्य अनुसूचितजाति एंव जनजाति के हो तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हो	1. श्री दिलीप समुद्रे, बजरहा टोला सतना 2 श्री गुलाब चौधरी, ग्राम बगहा सतना 3. श्री रोशन कुमार रावत, कोलान बस्ती
(ङ) 1 अधिकारी जो धारा 10 के अधीन अधिकार प्राप्त हो और अनुविभाग मे कार्यरत् हो.	1. तहसीलदार, रघुराजनगर सतना
(च)1 जो जिले मे वित्तीय और प्रत्यक्ष संस्थाओ का प्रतिनिधित्व करता है	1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकार बैंक सतना

कं0–82..बंधक श्रमिक– 2018 बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा (3) के प्रावधान के अंतर्गत बंधक श्रमिको के कल्याण हेतु निम्नाकित अनुसार "अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति, नागौद, जिला सतना का गठन किया जाता है मध्यप्रदेश राजपत्र मे प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा"

धारा 13 (3)

(क) अध्यक्ष	1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नागौद
(ख) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित किये जाने हेतु तय किया गया है	1. थाना प्रभारी नागौद 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नागौद 3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि अनुविभाग नागौद
(ग) 2 सदस्य जो सामाजिक कार्यकर्ता उक्त अनुविभाग के निवासी हो	1. श्री दादूलाल बागरी, वार्ड–2 हरदुआ नागौद सतना 2 श्री श्यामसुन्दर अग्रवाल वार्ड 7 मेन मार्केट नागौद
(घ) 3 सदस्य अनुसूचितजाति एंव जनजाति के हो तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हो	1. श्रीमती कविता कोल, साकिन बारा पत्थर नागौद 2 श्री राजकिशोर वर्मा, ग्राम उरदान रहिकवारा नागौद 3. श्रीमती सावित्री कोल, खेखा टोला नागौद
(ड़) 1 अधिकारी जो धारा 10 के अधीन अधिकार प्राप्त हो और अनुविभाग मे कार्यरत् हो.	1. तहसीलदार, नागौद सतना
(च)1 जो जिले मे वित्तीय और प्रत्यक्ष संस्थाओ का प्रतिनिधित्व करता है	1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकार बैंक नागौद

कं0–82..बंधक श्रमिक– 2018 बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा (3) के प्रावधान के अंतर्गत बंधक श्रमिको के कल्याण हेतु निम्नाकित अनुसार "अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति, मैहर, जिला सतना का गठन किया जाता है मध्यप्रदेश राजपत्र मे प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा"

धारा 13 (3)

(क) अध्यक्ष	1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मैहर
(ख) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित किये जाने हेतु तय किया गया है	1. थाना प्रभारी मैहर 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मैहर 3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि अनुविभाग मैहर
(ग) 2 सदस्य जो सामाजिक कार्यकर्ता उक्त अनुविभाग के निवासी हो	1. श्री कमलेश सुहाने,ग्राम सभागंज, मैहर 2. श्री अच्छेलाल पटेल,सडेरा मैहर
(घ) 3 सदस्य अनुसूचितजाति एंव जनजाति के हो तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हो	1. श्रीमती लक्ष्मी बाई चौधरी. भदनपुर मैहर 2 श्री लल्लू सिह नेताम, ग्राम अमुआ मैहर 3. श्री नरेश चौधरी, करियापानी मैहर
(ड़) 1 अधिकारी जो धारा 10 के अधीन अधिकार प्राप्त हो और अनुविभाग मे कार्यरत् हो.	1. तहसीलदार, मैहर सतना
(च)1 जो जिले मे वित्तीय और प्रत्यक्ष संस्थाओ का प्रतिनिधित्व करता है	1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकार बैंक मैहर

क0–21...बंधक श्रमिक– 2018 बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा (3) के प्रावधान के अंतर्गत बंधक श्रमिको के कल्याण हेतु निम्नाकित अनुसार "अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति, अमरपाटन, जिला सतना का गठन किया जाता है मध्यप्रदेश राजपत्र मे प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा"

धारा 13 (3)

(क) अध्यक्ष	1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अमरपाटन
(ख) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित किये जाने हेतु तय किया गया है	1. थाना प्रभारी अमरपाटन 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अमरपाटन 3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि अनुविभाग अमरपाटन
(ग) 2 सदस्य जो सामाजिक कार्यकर्ता उक्त अनुविभाग के निवासी हो	1. श्री रूपनारायण पटेल, विगौडी अमरपाटन 2. श्री सुनील अग्रवाल सुभाष चौक अमापाटन
(घ) 3 सदस्य अनुसूचितजाति एंव जनजाति के हो तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हो	1. श्रीमती सतनहाई, बजरहा टोला अमरपाटन 2 श्री कुवारे कोल उमरहाई मोहल्ला मैहर रोड अमरपाटन 3. श्री भगवानदास बंसल बजरहा टोला अमरपाटन
(ड़) 1 अधिकारी जो धारा 10 के अधीन अधिकार प्राप्त हो और अनुविभाग मे कार्यरत् हो.	1. तहसीलदार, अमरपाटन सतना
(च)1 जो जिले मे वित्तीय और प्रत्यक्ष संस्थाओ का प्रतिनिधित्व करता है	1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकार बैंक अमरपाटन

क0–81...बंधक श्रमिक– 2018 बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा (3) के प्रावधान के अंतर्गत बंधक श्रमिको के कल्याण हेतु निम्नाकित अनुसार "अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति, रामनगर, जिला सतना का गठन किया जाता है मध्यप्रदेश राजपत्र मे प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा"

धारा 13 (3)

(क) अध्यक्ष	1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रामनगर
(ख) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित किये जाने हेतु तय किया गया है	1. थाना प्रभारी रामनगर 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत रामनगर 3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि अनुविभाग रामनगर
(ग) 2 सदस्य जो सामाजिक कार्यकर्ता उक्त अनुविभाग के निवासी हो	1. श्री दुर्गा साकेत, वार्ड 9 रामनगर 2. कु0 प्रवीण कुमार कोल, बडवार रामनगर
(घ) 3 सदस्य अनुसूचितजाति एंव जनजाति के हो तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हो	1. श्रीमती संजू कोल, रामनगर 2 श्री स्वीगीदीन साकेत, ग्राम पो0 हरदुआ रामनगर 3. श्री सरोज कोरी, ग्राम सोनारी रामनगर
(ड़) 1 अधिकारी जो धारा 10 के अधीन अधिकार प्राप्त हो और अनुविभाग मे कार्यरत् हो.	1. तहसीलदार, रामनगर सतना
(च)1 जो जिले मे वित्तीय और प्रत्यक्ष संस्थाओ का प्रतिनिधित्व करता है	1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकार बैंक रामनगर

क्रं0–22...बंधक श्रमिक– 2018 बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा (3) के प्रावधान के अंतर्गत बंधक श्रमिको के कल्याण हेतु निम्नाकित अनुसार "अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति, रामपुर बघेलान, जिला सतना का गठन किया जाता है मध्यप्रदेश राजपत्र मे प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा"

धारा 13 (3)

(क) अध्यक्ष	1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रामपुर बघेलान
(ख) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित किये जाने हेतु तय किया गया है	1. थाना प्रभारी रामपुर बघेलान 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत रामपुर बघेलान 3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि अनुविभाग रामपुरबघे0
(ग) 2 सदस्य जो सामाजिक कार्यकर्ता उक्त अनुविभाग के निवासी हो	1. श्री जीतेन्द्र गुप्ता, साकिन रामपुर बघेलान 2. श्री पवन गौतम, साकिन रामपुर बघेलान
(घ) 3 सदस्य अनुसूचितजाति एंव जनजाति के हो तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हो	1. श्री रामावतार साकेत साकिन गढवा खुर्द रामपुर बघेलान 2 श्री रामबहोर प्रसाद, साकिन रघुनाथपुर रामपुर बघेलान 3. श्री रामपाल साकेत, साकिन टिकुरिया रामपुर बघेलान
(ड़) 1 अधिकारी जो धारा 10 के अधीन अधिकार प्राप्त हो और अनुविभाग मे कार्यरत् हो.	1. तहसीलदार, रामपुर बघेलान सतना
(च)1 जो जिले मे वित्तीय और प्रत्यक्ष संस्थाओ का प्रतिनिधित्व करता है	1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकार बैंक रामपुर बघेलान

क्रं0–23...बंधक श्रमिक– 2018 बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा (3) के प्रावधान के अंतर्गत बंधक श्रमिको के कल्याण हेतु निम्नाकित अनुसार "अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति, मझंगवा, जिला सतना का गठन किया जाता है मध्यप्रदेश राजपत्र मे प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा"

धारा 13 (3)

(क) अध्यक्ष	1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मझंगवा
(ख) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित किये जाने हेतु तय किया गया है	1. थाना प्रभारी मझंगवा 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मझंगवा 3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि अनुविभाग मझंगवा
(ग) 2 सदस्य जो सामाजिक कार्यकर्ता उक्त अनुविभाग के निवासी हो	1. श्री सन्तालाल गुप्ता, मझंगवा 2. श्री ब्रजमोहन सिह, पिण्ड्रा मझंगवा
(घ) 3 सदस्य अनुसूचितजाति एंव जनजाति के हो तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हो	1. श्री दादूलाल सरल, मझंगवा 2 श्री फूलचन्द्र मवासी, बरहा, मझंगवा 3. श्री हीरा लाल मवासी, पिण्ड्रा मझंगवा
(ड़) 1 अधिकारी जो धारा 10 के अधीन अधिकार प्राप्त हो और अनुविभाग मे कार्यरत् हो.	1. तहसीलदार, मझंगवा सतना
(च)1 जो जिले मे वित्तीय और प्रत्यक्ष संस्थाओ का प्रतिनिधित्व करता है	1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकार बैंक मझंगवा

कं0–.82.बंधक श्रमिक– 2018 बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा (3) के प्रावधान के अंतर्गत बंधक श्रमिको के कल्याण हेतु निम्नाकित अनुसार "अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति, उचेहरा, जिला सतना का गठन किया जाता है मध्यप्रदेश राजपत्र मे प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा"

धारा 13 (3)

(क) अध्यक्ष	1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उचेहरा
(ख) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित किये जाने हेतु तय किया गया है	1. थाना प्रभारी उचेहरा 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत उचेहरा 3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि अनुविभाग उचेहरा
(ग) 2 सदस्य जो सामाजिक कार्यकर्ता उक्त अनुविभाग के निवासी हो	1. श्री मदनकान्त पाठक, साकिन उचेहरा 2. श्री रूपकुमार हरबोल, साकिन उचेहरा
(घ) 3 सदस्य अनुसूचितजाति एंव जनजाति के हो तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हो	1. श्री दिनेश चौधरी, साकिन अमदरी, उचेहरा 2 श्री रामखेलावन कोल, साकिन रगोली उचेहरा 3. श्रीमती रचना सिह साकिन करही कला उचेहरा
(ङ) 1 अधिकारी जो धारा 10 के अधीन अधिकार प्राप्त हो और अनुविभाग मे कार्यरत् हो.	1. तहसीलदार, उचेहरा सतना
(च)1 जो जिले मे वित्तीय और प्रत्यक्ष संस्थाओ का प्रतिनिधित्व करता है	1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकार बैंक उचेहरा

मुकेश शुक्ल, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-अतिरिक्त-2018-19 मुरैना, दिनांक 6 अक्टूबर 2018

{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 {सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर–श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये अतिरिक्त भूमि ग्राम– **पहाड़ी**, तहसील– मुरैना, उपखण्ड– मुरैना, जिला–मुरैना में कुल किता **2** रकवा **0.155** एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला– मुरैना, तहसील– मुरैना के ग्राम– **पहाड़ी**, प0ह0नं0– 89, रा0नि0वृत–08 में उक्त परियोजना के लिये **0.151** हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:–

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
					रमेश,लक्ष्मण, रामखिलाड़ी सुरेश पिता जण्डेलसिंह सरोज गीता मधू पुत्री जण्डेलसिंह मु भूरी बेवा जण्डेलसिंह 1/6 समान केदार रघुनाथ छोटा पुत्र हीरासिंह 3/6 समान

1	2173	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.012	रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पिता रामजीवन समान भाग 1/6 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू कौमेश रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग भूमिस्वामी।
2	2182	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.143	मठ श्री महादेवजी का पुख्ता माफी औकाफ डिपा. प्रबंधक कलेक्टर मुरैना भूमिस्वामि
कुल				**0.155**	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे

विशेष :– धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू–अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

—

प्र. क्र. अ-82-02-भू-अर्जन-उ.म.रे.-अतिरिक्त-2017-18

{भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 {सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर–श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये अतिरिक्त भूमि ग्राम– **जयपुर उर्फ नयागांव** तहसील– मुरैना, उपखण्ड– मुरैना, जिला–मुरैना में कुल किता **20** रकवा **2.196** एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला– मुरैना, तहसील– मुरैना के ग्राम– **जयपुर उर्फ नयागांव**, प0ह0नं0– 89, रा0नि0वृत–08 में उक्त परियोजना के लिये **2.196** हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:–

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	772	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.114	महिला श्रीमती कमला सिंह पुत्री उत्तमसिंह जाति गूजर ठाकुर पता वुद्दीसिंह का पुरा मजरा जयपुर उर्फ नयागांव भूमिस्वामी
2	773	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.026	महिला श्रीमती कमला सिंह पुत्री उत्तमसिंह जाति गूजर ठाकुर पता वुद्दीसिंह का पुरा मजरा जयपुर उर्फ नयागांव भूमिस्वामी
3	774	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.159	सत्यनारायण, दिलीपराम, सत्यभान, भूपेन्द्र पुत्र रामवरन सूरजबाई वेबा रामवरन पूजा नेमोदेवी पुत्रियॉ रामवरन समान भाग जाति राठोर पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी
4	775/1 1/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.380	सत्यनारायण, दिलीपराम, सत्यभान, भूपेन्द्र पुत्र रामवरन सूरजबाई वेबा रामवरन पूजा नेमोदेवी पुत्रियॉ रामवरन समान भाग जाति राठोर पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी
5	775/1 1/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		कुंअरपाल रकवा 0.209 संतोषीलाल रकवा 0.449 बच्चू सिंह रकवा 0.209 पुत्र रामजीत सिंह रामजीत दयाराम रकवा 0.627 जाति राठौर पता नि0 ग्राम थाना का पुरा भूमिस्वामी।
6	775/1 /2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		महिला श्रीमती कमला सिंह पुत्री उत्तमसिंह जाति गूजर ठाकुर पता वुद्दीसिंह का पुरा मजरा जयपुर उर्फ नयागांव भूमिस्वामी
7	775/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		सत्यनारायण, दिलीपराम, सत्यभान, भूपेन्द्र पुत्र रामवरन सूरजबाई वेबा रामवरन पूजा नेमोदेवी

					पुत्रियॉ रामवरन समान भाग जाति राठोर पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी
8	778	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.450	महिला श्रीमती कमला सिंह पुत्री उत्तमसिंह जाति गूजर ठाकुर पता वुद्दीसिंह का पुरा मजरा जयपुर उर्फ नयागांव भूमिस्वामी
9	780/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.115	पूरनसिंह ,रणवीरसिंह ,गब्बरसिंह ,चौबेसिंह पुत्रगण मनीराम समान भाग हि0 1/8 जाति गुर्जर भूमिस्वामी बनवारी राजकिशोर पुत्र नवलसिंह राजकुमारी पुत्री नवलसिंह मु0 भागवती वेबा नवलसिंह स0 भाग रकवा 0.099 मु0 कलिया वेबा भूखन राकेश नाबा0 पुत्र भूखन सर0 मां खुद स0 भाग रकवा 0.025 गोपी पुत्र रामसिंह रकवा 0.125 कमला बाई पुत्री रामसिंह रकवा 0.079 मोतीराम सुघर सिंह पुत्र हरगोविन्द रतनसिंह मोहनसिंह पुत्र हरगोविन्द स0 भाग 7/32 रामचन्द पुत्र खेमा हि0 9/64 में से रकवा 0.031 सियाराम पुत्र प्रीतम प्रीतम पुत्र लालाराम हि0 1/16 लोहरे पुत्र हंसा हि0 7/32 बाबू पतिराम पंचम भूरा पुत्र बालेराम गोदावरी वेबा बालेराम स0 भाग रकवा 0.132 जाति रावत विजय कुमार पुत्र चिम्मनलाल जाति जैन नि0 खेडापति कालोनी रकवा 0.105 भरोषी पुत्र रामदयाल रकवा 0.108 रामभजन सिंह पुत्र रामवरन सिंह रकवा 0.011 है0 नि. गणपति विहार धनिराम पुत्र परिमाल जाति रावत रकबा 0.020 निवासी वुद्दी का पुरा भूमिस्वामी।
10	780/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		भारतसिंह द्वारिका पुत्रगण शोभाराम मु0 शंकरदे वेबा शेभाराम समान भाग रकवा 1.083 तोताराम पुत्र शोभाराम हि0 रकबा 0.141 दाताराम सीताराम पुत्रगण गादीपाल दयाराम नेकरामसिंह पुत्रगण मोहरमनसिंह सत्यवीरसिंह पुत्र गजेन्द्र सिंह रकवा 0.219 दर भाग 3/4 भूमि स्वामी सरदारसिंह रामेश्वर औतार पुत्रगण चन्दनसिंह साजनदे वेबा चन्दनसिंह त्रिवेणी, सिरमती, शान्ती भूरी पुत्रियां चन्दनसिंह 1/8 समान भाग रामवरन पुत्र महाराजसिंह रामरती पुत्री महाराजसिंह जाति गुर्जर ठाकुर पता नि0 बुद्धीका पुरा 1/8 भाग भूमिस्वामी समान भाग 1/8 जाति गुर्जर पता नि. बुद्धी का पुरा भूमि स्वामी।
11	780/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		विजयसिंह पुत्र हाकिमसिंह जाति गु0 ठा0 पता

					निवासी जरारा भूमिस्वामी भू–राजस्व बिलमुक्ता 4.00
12	780/4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		महिला श्रीमती कमला पुत्री उत्तमसिंह जाति गुर्जर ठाकुर पता बुद्दीसिंह का पूरा मजरा जयपुर उर्फ नयागांव
13	802/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.619	मु0 निर्मलादेवी पत्नी सोवरनसिंह रकबा 0.721 पातीराम पंचम भूरा पिता बाले राम रकबा 0.533 जाति रावत नि0 बुद्धीसिंह का पूरा जाति रावत भूमिस्वामी
14	802/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		पतिराम भूपसिंह पुत्र बालेराम 1.223 है0 रामवरन पु0 महाराजसिंह रकवा 0.287 रामवती पुत्री महाराजसिंह रकवा 0.287 सरदारसिंह , औतारसिंह पुत्रगण चंदनसिंह मु0 जीगेन्द्र वेबा चंदनसिंह त्रिवेणी सिरमिति शान्ती भूरी पुत्रीयां चंदनसिंह समान भाग 0.503 मु. शीला देवी वेवा रामेश्वर वीरेन्द्र सिंह पुत्र रामेश्वर रेखा पुत्री रामेश्वर समान भाग 0.071 पंचम भूरा पुत्र बालेराम स0 भाग रकवा 0.523 निवासी बुद्धी का पुरा निर्मला पत्नि सोवरनसिंह 0.563 कोम रावत नि0 निरावली
15	802/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		रामचन्द्र पुत्र खेमराज हि0 1/3 रूमाली देवी वेवा पन्नालाल अनूप जयसिंह पुत्र पन्नालाल जाति रावत 0.034 मुन्नालाल पुत्र हजारीलाल रकवा 0.034 मु रामश्री वेवा हजारीलाल रकवा 0.034 कौशल्या सुमिता सुखनिया पुत्री हजारीलाल रकवा 0.104 दर भाग 1/6 संजू नावा सर मॉ खुद गुडडी वेवा मुन्नालाल रकवा 0.115 पप्पू जीवाराम कल्लू नावा सर मॉ खुद कलावती पत्नी सियाराम स भाग रकवा 0.115 रामभरोषी पुत्र रामदयाल रकवा 0073.दर भाग 1/4 मोतीराम सुघरसिंह रतनसिंह मोहनसिंह हरगोविन्द मु रामकली वेवा हुकमसिंह राजलाला जीतू नावा सर मॉ खुद पुत्रगण हुकमसिंह स0भा0 हिस्सा 1/4 जाति रावत भूमि स्वामी भू राजस्व 12.00
16	804	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.017	सरदार सिंह पुत्र चन्दन सिंह रकबा 0.006 त्रिवेणी भूरी सिरिमिती पुत्रियां चन्दन सिंह समान भाग रकबा 0.026 अवतार सिंह पुत्र चन्दन सिंह रकबा 0.048 मु0 साजन देवी वेबा चन्दन सिंह हि0 रकबा 0.048 जाति गुर्जर दाताराम सिंह पुत्र गादीपाल नेकराम पुत्र मोहरमन सिंह समान भाग

					1/2 दयाराम पुत्र मोहरमन सिंह भाग 1/2 रकबा 0.209 पता निवासी बुद्दी का पुरा भूमिस्वामी मु0 शीला देवी वेबा रामेश्वर सिंह वीरेन्द्र सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह वीरेन्द्र सिंह रामेश्वर सिंह रेखा पुत्री रामेश्वर सिंह समान भाग 0.048 जाति गुर्जर पता नि0 बुद्दी का पुरा भूमिस्वामी
17	805	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.088	सरदार सिंह अवतार सिंह पुत्रगण चन्दन सिंह मु0 साजन देवी वेबा चन्दन सिंह त्रिवेणी शान्ती भूरी सिरिमिती पुत्रियां चन्दन सिंह हि0 7/8 मु0 शीला देवी वेबा रामेश्वर सिंह वीरेन्द्र सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह रेखा पुत्री रामेश्वर सिंह समान भाग हि0 1/8 जाति गुर्जर पता नि0 बुद्दी का पुरा भुमिस्वामी
18	963	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.014	श्रीमती निर्मलादेवी पत्नी सोवरनसिंह जाति रावत पता नि0 निरावली तह0 ग्वा0 भूमिस्वामी भू–राजस्व 1.30
19	965/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.214	श्रीमती निर्मलादेवी पत्नी सोवरनसिंह जाति रावत पता नि0 निरावली तह0 ग्वा0 भूमिस्वामी
20	965/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		श्रीमती निर्मलादेवी पत्नी सोवरनसिंह जाति रावत पता नि0 निरावली तह0 ग्वा0 भूमिस्वामी भू0रा0शा0 964 मि0 1
कुल				**2.196**	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष :– धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू–अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 1982-भू-अर्जन-2018-प्रकरण क्रमांक 41-अ-82-2017-18 देवास, दिनांक 8 अक्टूबर 2018

-:प्रारंभिक अधिसूचना:-

अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 क्रं.30 सन्2013

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में देवास बायपास मार्ग निर्माण एवं भू-अर्जन बाबद (टोल+एनयूटी) योजनांतर्गत **ग्राम बिलावली** तहसील व जिला देवास के लिये वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि बायपास (बीओटी एवं एनयूटी) योजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा		
		सिंचित	असिंचित	योग
1	देवास बायपास मार्ग निर्माण बी.ओ.टी (टोल+एनयूटी) योजनांनर्गत संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन संभाग उज्जैन	0.249	0.315	0.564

अनुसूची-2

देवास बायपास मार्ग निर्माण बी.ओ.टी. (टोल+एनयूटी) योजनांतर्गत ग्राम बिलावली की प्रभावित भूमि का विवरण :-

क्रं.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रंमाक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जानेवाली भूमि		
			सिंचित	असिंचित	योग	सिंचित	असिंचित	योग
1	अनिता पति अरविन्द्र सरिता पति हरिश	126/2/1	-	0.059	0.059	- -	0.043	0.043
		126/3/1	-	0.060	0.060			

2	श्याम पिता मंदरूप	126/1/मिन-4	0.028	–	0.028	0.032	–	0.032
		126/1/मिन-12	0.004	–	0.004			
3	संतोष पिता लक्ष्मण मीराबाई पिता रामलाल	126/1/मिन-11	–	0.009	0.009	–	0.003	0.003
4	छतरसिंह पिता गंगाराम	126 पैकी	–	0.014	0.014	–	0.004	0.004
5	सतीश पिता रघुवीरसिंह	126/1मिन-4/1/5	–	0.117	0.117	–	0.003	0.003
6	रामकुंवरबाई पति शंकरलाल	126/1/मिन-6	–	0.015	0.015	–	0.005	0.005
7	सतीश पिता रघुवीरसिंह	126/1/मिन-4/मिन-5	–	0.253	0.253	–	0.006	0.006
8	राधाबाई पति गंगाप्रसाद	126/1/मिन-5	–	0.014	0.014	–	0.004	0.004
9	सुमन कौर पति चंद्रपालसिंह कौर	126 पैकी	–	0.009	0.009	–	0.003	0.003
10	रघुनंदन पिता सालगराम	126/1/मिन-1/2	–	0.011	0.011	–	0.004	0.004
		126/1/मिन-1	–	0.010	0.010			
11	संतोष पिता अनुपसिंह	126/1/मिन-1/मिन-1/2	–	0.007	0.007	–	0.001	0.001
12	कैलाशचन्द्र पिता रामसिंह	126/1/मिन-1/मिन-1/1	–	0.006	0.006	–	0.001	0.001
13	माहिराबी पति हुसैन	126/1/मिन-4/1	–	0.014	0.014	–	0.005	0.005
14	सोहन पिता वासुदेव	126/1/मिन-4/मिन-1	0.007	–	0.007	0.002	–	0.002
15	अनिल पिता मदनसिंह	126/1/मिन-4/मिन-3	0.007	–	0.007	0.002	–	0.002
16	जवाहर पिता हिम्मतसिंह	126/1/मिन-3/मिन-1	0.216	–	0.216	0.030	–	0.030

17	कृष्णादेवी विधवा बहादुरसिंह अभयसिंह, सजनसिंह, नमिता पिता बहादुरसिंह राठैर	127/2/1	-	0.068	0.068	-	0.018	0.018
18	कस्तूरीबाई विधवा हजारीलाल	170/5/2/1	-	0.983	0.983	-	0.054	0.054
19	रंजीतसिंह पिता तिलकराम मोहन	170/5/2/मिन-3	1.020	-	1.020	0.181	-	0.181
20	विदुम पुखराज पिता भूपेन्द्रसिंह	126/1/1/1/मिन-1/मिन-2	2.572	-	2.572	0.002	-	0.002
21	शंकर महादेव मंदिर प्रबंधक कलेक्टर महोदय देवास	49/1	-	2.877	2.877	-	0.161	0.161
	योग ग्राम बिलावली					0.249	0.315	0.564

क्र. 1988-भू-अर्जन-2018-प्रकरण क्रमांक 44-अ-82-2017-18

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में देवास बायपास मार्ग निर्माण एवं भू-अर्जन बाबद (टोल+एनयूटी) योजनांतर्गत **ग्राम नौसराबाद** तहसील व जिला देवास के लिये वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि बायपास (बीओटी एवं एनयूटी) योजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा		
		सिंचित	असिंचित	योग
1	देवास बायपास मार्ग निर्माण बी.ओ.टी (टोल+एनयूटी) योजनांनर्गत संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन संभाग उज्जैन	0.302	0.251	0.553

अनुसूची-2

देवास बायपास मार्ग निर्माण बी.ओ.टी. (टोल+एनयूटी) योजनांतर्गत ग्राम नौसराबाद की प्रभावित भूमि का विवरण :-

क्रं.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रंमाक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जानेवाली भूमि		
			सिंचित	असिंचित	योग	सिंचित	असिंचित	योग
1	श्याम पिता रामचन्द्र खटीक	66/4	0.212	-	0.212	0.005	-	0.005

2	रमेश पिता मूलचन्द्र	66/3	–	0.253	0.253	–	0.036	0.036
3	गीताबाई पति प्रहलाद	66/2	–	0.379	0.379	–	0.050	0.050
		62/3	0.330	–	0.330	0.005	–	0.005
4	बदरूददीन आशिक हुसैन पिता मोहम्मद हुसैन	64/3	–	0.020	0.020	–	0.020	0.020
5	मोनिका पति रमेशसिंह	64/4	–	0.020	0.020	–	0.020	0.020
6	सुरेन्द्रसिंह पिता देवीसिंह	65/3/1 पैकी	0.010	–	0.010	0.010		0.010
7	देवीसिंह पिता करणसिंह	65/3/2	0.130	–	0.130	0.033	–	0.033
8	चंद्रकांता पति ओमप्रकाश	65/3	0.265	–	0.265	0.012	–	0.012
		65/1	0.170	–	0.170	0.006	–	0.006
9	सुशीलाबाई रखबचन्द्र जैन	79	–	0.918	0.918	–	0.015	0.015
10	हबीबउल्लाह पिता इनायत शाह	80/1/1	–	0.179	0.179	–	0.001	0.001
11	विवेक पिता सुभाषचन्द्र पावेचा	80/1/2	–	0.356	0.356	–	0.109	0.109
12	रामप्यारीबाई पति मुरारीलाल	81/1	0.555	–	0.555	0.114	–	0.114
		82/1	1.024	–	1.024	0.060	–	0.060
13	राधेश्याम, परमानन्द, हरिसिंह पिता देवीसिंह, सुन्दरबाई विधवा देवीसिंह	63/मिन–1/मिन–1	0.378	–	0.378	0.057	–	0.057
	योग ग्राम नौसराबाद					0.302	0.251	0.553

क्र. 1994–भू–अर्जन–2018–प्रकरण क्रमांक 43–अ–82–2017–18

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में देवास बायपास मार्ग निर्माण एवं भू–अर्जन बाबद (टोल+एनयूटी) योजनांतर्गत ग्राम कालूखेड़ी तहसील व जिला देवास के लिये वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची–2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि बायपास (बीओटी एवं एनयूटी) योजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची–1

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा		
		सिंचित	असिंचित	योग
1	देवास बायपास मार्ग निर्माण बी.ओ.टी (टोल+एनयूटी) योजनांनर्गत संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन संभाग उज्जैन	0.001	0.077	0.078

अनुसूची-2

देवास बायपास मार्ग निर्माण बी.ओ.टी. (टोल+एनयूटी) योजनांतर्गत ग्राम कालूखेड़ी की प्रभावित भूमि का विवरण :-

क्रं.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रंमाक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जानेवाली भूमि		
			सिंचित	असिंचित	योग	सिंचित	असिंचित	योग
1	नानूराम पिता नारायण	415/367/3	0.405	-	0.405	0.001	-	0.001
2	सरोज पिता संजय अग्रवाल	368/5/3	-	0.060	0.060	-	0.038	0.038
3	राजेश पिता देवीलाल बारोड़ नि. ब्राम्हणखेडा	368/3/मिन-3	-	0.103	0.103	-	0.004	0.004
4	रेशमबाई पति बाबूलाल	368/3/मिन-2	-	0.052	0.052	-	0.003	0.003
5	नीना पति अजयकुमार जैन	368/3/मिन-1	-	0.086	0.086	-	0.007	0.007
6	रीना पति ओमप्रकाश	368/3	-	0.034	0.034	-	0.003	0.003
7	मनोहर पिता रामेश्वर	368/3/मिन-4	-	0.101	0.101	-	0.022	0.022
	योग ग्राम कालुखेड़ी					0.001	0.077	0.078

क्र. 2000-भू-अर्जन-2018-प्रकरण क्रमांक 36-अ-82-2017-18

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में देवास बायपास मार्ग निर्माण एवं भू-अर्जन बाबद (टोल+एनयूटी) योजनांतर्गत **ग्राम अनवटपुरा** तहसील व जिला देवास के लिये वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि बायपास (बीओटी एवं एनयूटी) योजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा		
		सिंचित	असिंचित	योग
1	देवास बायपास मार्ग निर्माण बी.ओ.टी (टोल+एनयूटी) योजनांनर्गत संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन संभाग उज्जैन	0.077	-	0.077

अनुसूची–2

देवास बायपास मार्ग निर्माण बी.ओ.टी. (टोल+एनयूटी) योजनांतर्गत ग्राम अनवटपुरा की प्रभावित भूमि का विवरण :–

क्रं.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रंमाक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जानेवाली भूमि		
			सिंचित	असिंचित	योग	सिंचित	असिंचित	योग
1	गफुरनबाई पति मंजूर अली जाति मुसलमान निवासी रसुलपुर	132, 133,135/1 पैकी	0.328	–	0.328	0.077	–	0.077
	योग ग्राम अनवटपुरा					0.077	–	0.077

क्र. 2007–भू–अर्जन–2018–प्रकरण क्रमांक 40–अ–82–2017–18

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में देवास बायपास मार्ग निर्माण एवं भू–अर्जन बाबद (टोल+एनयूटी) योजनांतर्गत **ग्राम जेतपुरा** तहसील व जिला देवास के लिये वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची–2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि बायपास (बीओटी एवं एनयूटी) योजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची–1

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा		
		सिंचित	असिंचित	योग
1	देवास बायपास मार्ग निर्माण बी.ओ.टी (टोल+एनयूटी) योजनांनर्गत संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन संभाग उज्जैन	0.191	0.038	0.229

अनुसूची–2

देवास बायपास मार्ग निर्माण बी.ओ.टी. (टोल+एनयूटी) योजनांतर्गत ग्राम जेतपुरा की प्रभावित भूमि का विवरण :–

क्रं.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रंमाक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जानेवाली भूमि		
			सिंचित	असिंचित	योग	सिंचित	असिंचित	योग
1	हुसैन पिता अब्बासअली	88/1/1	–	0.582	0.582	–	0.038	0.038

2	गणेशलाल पिता धन्नालाल पंजाबी	382/1/1	2.283	-	2.283	0.010	-	0.010
3	राजकुमारीदेवी पति धरमपाल	380/1/7	2.731	-	2.731	0.127	-	0.127
4	अमोल, अभिषेक पिता अशोक कुमार	380/2	1.214	-	1.214	0.054	-	0.054
	योग ग्राम जेतपुरा					0191	0.038	0.229

क्र. 2012-भू-अर्जन-2018-प्रकरण क्रमांक अ-82-2017-18

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में देवास बायपास मार्ग निर्माण एवं भू-अर्जन बाबद (टेल+एनयूटी) योजनांतर्गत ग्राम ब्राम्हणखेड़ा तहसील व जिला देवास के लिये वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि बायपास (बीओटी एवं एनयूटी) योजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा		
		सिंचित	असिंचित	योग
1	देवास बायपास मार्ग निर्माण बी.ओ.टी (टेल+एनयूटी) योजनांनर्गत संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन संभाग उज्जैन	-	0.041	0.041

अनुसूची-2

देवास बायपास मार्ग निर्माण बी.ओ.टी. (टेल+एनयूटी) योजनांतर्गत ग्राम ब्राम्हणखेडा की प्रभावित भूमि का विवरण :-

क्रं.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रंमाक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जानेवाली भूमि		
			सिंचित	असिंचित	योग	सिंचित	असिंचित	योग
1	अरूण पिता विनायकराव ब्राम्हण निवासी देवास	2	-	2.533	2.533	-	0.041	0.041
	योग ग्राम ब्राम्हणखेड़ा					-	0.041	0.041

क्र. 2017-भू-अर्जन-2018-प्रकरण क्रमांक अ-82-2017-18

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में देवास बायपास मार्ग निर्माण एवं भू-अर्जन बाबद (टोल+एनयूटी) योजनांतर्गत **ग्राम रसुलपुर** तहसील व जिला देवास के लिये वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि बायपास (बीओटी एवं एनयूटी) योजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा		
		सिंचित	असिंचित	योग
1	देवास बायपास मार्ग निर्माण बी.ओ.टी (टोल+एनयूटी) योजनांनर्गत संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन संभाग उज्जैन	0.219	0.046	0.265

अनुसूची-2

देवास बायपास मार्ग निर्माण बी.ओ.टी. (टोल+एनयूटी) योजनांतर्गत ग्राम रसुलपुर की प्रभावित भूमि का विवरण :-

क्रं.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रंमाक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जानेवाली भूमि		
			सिंचित	असिंचित	योग	सिंचित	असिंचित	योग
1	बशारत अली पिता फरजन अली	194/2/1 पैकी	1.117	-	1.117	0.165	-	0.165
2	मंजीतसिंह पिता सरदार रामसिंह जाति सिक्ख निवासी इंदौर	196/2 पैकी	0.202	-	0.202	0.016	-	0.016
3	मोहम्मद रफिक, मोहम्मद मुजिब शाह पिता गफफार शाह जाति फकीर नि. 67, चूड़ी बाखल देवास	195/1/2, 196/1 पैकी	0.433	-	0.433	0.038	-	0.038
4	जरीनाबी पति मोहम्मद रफिक शाह जाति फकीर नि. 67 चूड़ी बाखल देवास	195/1/3, 196/1 पैकी	-	0.020	0.020	-	0.012	0.012
5	प्रकाशदास पिता घनश्याम दास, धरमदास पिता गोलोमल जाति सिंधी निवासी इंदौर	195/1/मिन-1/2 पैकी,	-	0.038	0.038	-	0.024	0.024
		196/1/2/1 पैकी	-	0.076	0.076	-	0.010	0.010
	योग ग्राम रसुलपुर					0.219	0.046	0.265

क्र. 2027-भू-अर्जन-2018-प्रकरण क्रमांक अ-82-2017-18

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में देवास बायपास मार्ग निर्माण एवं भू-अर्जन बाबद (टोल+एनयूटी) योजनांतर्गत **ग्राम पालनगर** तहसील व जिला देवास के लिये वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि बायपास (बीओटी एवं एनयूटी) योजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा		
		सिंचित	असिंचित	योग
1	देवास बायपास मार्ग निर्माण बी.ओ.टी (टोल+एनयूटी) योजनांनर्गत संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन संभाग उज्जैन	1.645	0.015	1.660

अनुसूची-2

देवास बायपास मार्ग निर्माण बी.ओ.टी. (टोल+एनयूटी) योजनांतर्गत ग्राम पालनगर की प्रभावित भूमि का विवरण :-

क्रं.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रंमाक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जानेवाली भूमि		
			सिंचित	असिंचित	योग	सिंचित	असिंचित	योग
1	राम पिता रमेश कामदार जाति खाती नि.ग्राम	124/3/1/2 पैकी	0.150	-	0.150	0.014	-	0.014

2	लीलाबाई पति घनश्याम कामदार जाति खाति नि.ग्राम	124/3/1/3 पैकी	0.494	–	0.494	0.045	–	0.045
3	सुगनबाई पति सिंगाराम खाती नि. डकाच्या तहसील सांवेर	124/3/1/1 पैकी	0.494	–	0.494	0.045	–	0.045
4	कांताबाई पति रमेश कामदार जाति खाती नि.ग्राम कांताबाई पति रमेश कामदार जाति खाती नि.गाम	125 पैकी	0.116	–	0.116	0.067	–	0.067
		125 पैकी	0.032	–	0.032	0.015	–	0.015
		127/1/1 पैकी	0.841	–	0.841	0.131	–	0.131
	योग					0.213		0.213
5	रामप्रसाद पिता रामरतन जाति खाती नि.ग्राम	130/1, 132/964/1 पैकी	0.853	–	0.853	0.165	–	0.165
		130/3 पैकी	0.664	–	0.664	0.204	–	0.204
		130/1, 132/964/1 पैकी	0.853	–	0.853	0.049	–	0.049
		132/964/1 पैकी	0.853	–	0.853	0.053	–	0.053
	योग					0.471		0.471
6	रमेश पिता सावंत कामदार जाति खाती नि. ग्राम	130/2/1 पैकी	0.587	–	0.587	0.068	–	0.068
		130/2/1 पैकी	0.587	–	0.587	0.107	–	0.107
		126/1/1, 162/2 पैकी	0.223	–	0.223	0.080	–	0.080
	योग					0.255		0.255

7	मोहनलाल पिता तुलसीराम जाति ब्राम्हण	129/1/1 पैकी	0.009	–	0.009	0.009	–	0.009
8	अरविन्द पिता नारायण भाई पटेल निवासी स्नेहलता गंज इंदौर	131 पैकी	1.153	–	1.153	0.069	–	0.069
		133/2/2 पैकी	0.977	–	0.977	0.098	–	0.098
	योग					0.167		0.167
9	कपिल पिता श्रीराम, कल्पना पति निलेश जाति खाति नि.ग्राम	132/1/2/2, 132/1/6	–	0.015	0.015	–	0.015	0.015
10	कलावतीबाई पति तुलसीराम जाति ब्राम्हण नि. ग्राम	132/1/8, 132/1/9 पैकी	0.125	–	0.125	0.022	–	0.022
11	श्रवणकुमार पिता मदनलाल अग्रवाल नि. ग्राम	132/1/2/3 पैकी	0.169	–	0.169	0.082	–	0.082
		132/1/5/2 पैकी	0.241	–	0.241			
12	मनोहरलाल पिता जगन्नाथ,हंसूबाई विधवा जगननाथ जाति खाती नि. ग्राम	132/1/5 पैकी	0.878	–	0.878	0.043	–	0.043
13	खुशीराम पिता दयालदास रामचंदानी जाति सिंधी नि. आलापुरा इंदौर	132/964/2/2 पैकी	0.121	–	0.121	0.075	–	0.075
		130/2/3 पैकी	0.361	–	0.361	0.106	–	0.106
	योग					0.181		0.181
14	दिलीप पिता लक्ष्मणदास तलरेजा सिंधी नि. सिविल लाईन देवास	129/1/2 पैकी	0.006	–	0.006	0.037	–	0.037
		129/3/1 पैकी	0.140	–	0.140			
		129/3/2 पैकी	0.160	–	0.160			
15	मधुबाई पति ईश्वरदास बैरागी नि. देवास	129/4 पैकी	0.059	–	0.059	0.039	–	0.039
16	रामचरण पिता कोदरसिंह खाती	214/2/4 पैकी	0.075	–	0.075	0.005	–	0.005
17	रणछोड पिता बद्रीलाल, रेशमबाई, सोरमबाई, ललिताबाई पिता बद्रीलाल जाति खाति नि.ग्राम	213/2/1 पैकी	1.369	–	1.369	0.017	–	0.017
	योग ग्राम पालनगर					1.645	0.015	1.660

क्र. 2034-भू-अर्जन-2018-प्रकरण क्रमांक अ-82-2017-18

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में देवास बायपास मार्ग निर्माण एवं भू-अर्जन बाबद (टोल+एनयूटी) योजनांतर्गत **ग्राम देवास सीनियर** तहसील व जिला देवास के लिये वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि बायपास (बीओटी एवं एनयूटी) योजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा		
		सिंचित	असिंचित	योग
1	देवास बायपास मार्ग निर्माण बी.ओ.टी (टोल+एनयूटी) योजनांनर्गत संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन संभाग उज्जैन	0.188	0.037	0.225

अनुसूची-2

देवास बायपास मार्ग निर्माण बी.ओ.टी. (टोल+एनयूटी) योजनांतर्गत ग्राम देवास सीनियर की प्रभावित भूमि का विवरण :-

क्रं.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रंमाक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जानेवाली भूमि		
			सिंचित	असिंचित	योग	सिंचित	असिंचित	योग
1	मनोज पिता रावलदास, द्रोपतीदेवी पति हरिराम कुकरेजा, अनिता पति हरिश मंगलानी नि. इंदौर	385/2	0.753	-	0.753	0.020	-	0.020
	मनोज पिता रावलदास, द्रोपतीदेवी पति हरिराम कुकरेजा, अनिता पति हरिश मंगलानी नि. इंदौर	385/3	0.648	-	0.648	0.023	-	0.023
2	मुनव्वरबी पति शेख नुरूददीन	385/1/2	0.372	-	0.372	0.018	-	0.018
3	हनी डोरा पति सुनिल डोरा	385/1/1	0.129	-	0.129	0.008	-	0.008
		384/2	0.287	-	0.287	0.010	-	0.010
4	दिनेशसिंह पिता नारायणसिंह	384/1, 387/3	0.810	-	0.810	0.016	-	0.016
5	अशोकसिंह पिता नारायणसिंह	384/3, 387/4	0.809	-	0.809	0.016	-	0.016
6	नीरज पिता देवराज, अनुपम पिता जयराज, रोहित पिता सुमन, बाबू सोनी	382/2, 383/1	1.268	-	1.268	0.077	-	0.077
7	म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर	378	-	9.770	9.770	-	0.037	0.037
	योग ग्राम देवास सीनियर					0.188	0.037	0.225

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकान्त पाण्डेय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नस्ती क्र. एलए-भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17-18 बुरहानपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2018

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम ,2013 की धारा 15 (1) के अन्तर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (2) के अन्तर्गत रिर्पोट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) मे उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिपेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

//अनुसूची//

1) भूमि का वर्णनः-

(क) जिला : **बुरहानपुर**

(ख) तहसील : **खकनार**

(ग) ग्राम : **चौखण्डा (बोरबन तालाब नहर योजना)**

(घ) अर्जित रकबा : **94.732 हेक्टेयर**

खसरा क्र.	अर्जनीय रकबा	खसरा क्र.	अर्जनीय रकबा	खसरा क्र.	अर्जनीय रकबा	खसरा क्र.	अर्जनीय रकबा
73	1.460	192	0.460	203	2.780	211/7	0.400
166/1	0.290	193	0.560	204	2.970	212/1	1.850
166/2	0.160	194	3.610	205	2.710	212/2	0.400
167	5.440	195	2.210	206	3.000	213/1	2.810
168/3	0.072	196/1	0.900	207	0.600	213/2	4.430
185/1	2.030	196/2	0.630	208	0.120	213/3	0.810
185/2	0.300	198/1	0.870	209	3.870	214/1	1.190
185/3	0.420	198/2	0.760	210	4.730	214/2	1.200
185/4	0.200	198/5	0.810	211/1	2.890	214/3	0.960
185/5	0.810	199/1	0.030	211/2	2.020	214/4	0.800
186	3.130	199/2	1.400	211/3	2.250	214/5	0.810
187	3.610	199/3	2.620	211/4	3.400	214/6	0.810
188	0.430	200	1.020	211/5	1.010	215	3.340
190	2.590	201	1.000	211/6	1.010	216	1.210
191	0.650	202	1.070	211/8	0.810		

भूमि का वर्णनः–

(क) जिला : **बुरहानपुर**

(ख) तहसील : **खकनार**

(ग) ग्राम : **बालापाठ (बोरबन तालाब नहर योजना)**

(घ) अर्जित रकबा : **2.350 हेक्टेयर**

खसरा क.	अर्जनीय रकबा	खसरा क.	अर्जनीय रकबा	खसरा क.	अर्जनीय रकबा	खसरा क.	अर्जनीय रकबा
232/1	0.156	239	0.114	225/4	0.027	211	0.108
232/2	0.249	228/1	0.068	224	0.075	201/3	0.050
236/1	0.078	228/2	0.052	223	0.088	201/2	0.058
236/3	0.052	227	0.130	222	0.088	201/1	0.032
196	0.068	225/1	0.162	216/1	0.110	198/1	0.148
237	0.104	225/2	0.028	216/3	0.088	198/4	0.016
238	0.083	225/3	0.028	208/1	0.090		

2) सार्वजनिक प्रायोजन बोरबन लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण एवं डूब हेतु जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है,

3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी, नेपानगर तथा **कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग बुरहानपुर** के कार्यालय मे किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2018

शुद्धि-पत्र

फा. क्रमांक 3(ए)2017-इक्कीस-ब (एक) 5435.—मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 दिनांक 26 अक्टूबर 2018 के पृष्ठ क्रमांक 6769 पर प्रकाशित इस विभाग के आदेश फा. क्रमांक 3(ए)2017-इक्कीस-ब (एक) 4792, दिनांक 17 अक्टूबर 2018 के प्रथम पैरा की पंक्ति क्र. 1 में ''प्रतिक्षा मेरिट क्र. 36'' के स्थान पर ''मेरिट क्र. 36'' पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 23 अगस्त 2018

पत्र क्र. 42-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—मझौली

(ग) ग्राम का नाम—अमोहरा डोल

(घ) निजी भूमि का अर्जित—5.590 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
254	0.200	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 जिला सीधी (म. प्र.).	बांध/नहर निर्माण हेतु.
279/2/1/1	0.190		
280/1	0.240		
286/1/3	0.120		
287/2	0.050		
288/2/1	0.170		
273/1/1	0.930		
276/2	0.070		
280/2	0.240		
286/2/3	0.220		
273/1/2	0.440		
213/1	0.050		
199	0.220		
200	0.300		
230/5	0.190		
275/5	0.160		
276/6	0.100		
230/6	0.230		
275/6	0.160		
276/7	0.100		

(1)	(2)	(3)	(4)
230/7	0.180		
275/7	0.160		
276/8	0.090		
275/3	0.150		
276/4	0.100		
275/4	0.160		
276/5	0.100		
220/1	0.270		
योग . .	5.590		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, मझौली में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर, सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अत: हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व-संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 42-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—मझौली
(ग) ग्राम का नाम—मड़वास
(घ) निजी भूमि का अर्जित—6.096 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
1689	0.400	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 जिला सीधी (म. प्र.).	बांध/नहर निर्माण हेतु.
1691/2	0.150		
1691/5	0.080		
1692	0.400		
1798/1 मि. 2	0.080		
1798/2	0.400		

(1)	(2)	(3)	(4)
1798/3/2	0.160		
1798/4	0.800		
1693	1.634		
1798/1	0.479		
1799/1	0.913		
1799/2	0.400		
1672/2	0.040		
1666/3	0.040		
1671/1/2	0.080		
1667/1	0.020		
1669	0.020		
	योग . . 6.096		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मझौली में देखा जा सकता है.

3. उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर, सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अत: हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है.

4. धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

5. यह सूचना सर्व-संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 5 अक्टूबर 2018

क्र. 252-भू-अर्जन-18-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. गोपला तालाब के निर्माण हेतु भूमि के अर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	देवरी		कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा.	गोपला तालाब निर्माण.
		निजी भूमि	31.960		
		शासकीय भूमि	2.917		
		योग. .	34.877		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 253-भू-अर्जन-18-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. गोपला तालाब के निर्माण हेतु भूमि के अर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	पांती मिश्रान		कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा.	गोपला तालाब निर्माण.
		निजी भूमि	4.642		
		शासकीय भूमि	0.939		
		योग. .	5.581		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 254-भू-अर्जन-18-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. गोपला तालाब के निर्माण हेतु भूमि के अर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	गोपला		कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा.	गोपला तालाब निर्माण.
		निजी भूमि	52.764		
		शासकीय भूमि	2.992		
		योग. .	55.756		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2018

क्र. C-4695-दो-2-46-2016.—श्री सनत कुमार कश्यप, रजिस्ट्रार (डी. ई.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 22 सितम्बर 2016 से दिनांक 21 सितम्बर 2018 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2018

क्र. C-4990-दो-2-32-2014.—श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 22 सितम्बर 2018 का एक दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2018

क्र. B-5562-दो-2-70-2017.—श्री राजेन्द्र चौरसिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को दिनांक 14 सितम्बर 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 सितम्बर 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र चौरसिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र चौरसिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-5564-दो-2-27-2017.—डॉ. ओ. पी. तिवारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिवनी को दिनांक 19 से 20 सितम्बर 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर डॉ. ओ. पी. तिवारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. ओ. पी. तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-5566-दो-2-32-2014.—श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 14 सितम्बर 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-5568-दो-3-34-2013.—श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को दिनांक 13 से 15 अक्टूबर 2018 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 से 21 अक्टूबर 2018 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-5570-दो-2-42-2014.—श्री रमेश कुमार सोनी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:—

1. दिनांक 17 सितम्बर 2018 से दिनांक 1 अक्टूबर 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 15 दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.

2. दिनांक 24 सितम्बर 2018 से दिनांक 29 सितम्बर 2018 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 सितम्बर 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री रमेश कुमार सोनी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रमेश कुमार सोनी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-5572-दो-2-46-2017.—श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 14 से 18 सितम्बर 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-5574-दो-2-24-2014.—श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को दिनांक 24 से 29 सितम्बर 2018 तक छह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 सितम्बर 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-5576-दो-2-37-2016.—श्री चन्द्रेश कुमार खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को दिनांक 25 से 27 सितम्बर 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रेश कुमार खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री चन्द्रेश कुमार खरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-5578-दो-2-20-2016.—श्री दीपक कुमार अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 27 से 29 सितम्बर 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री दीपक कुमार अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपक कुमार अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4970-दो-2-117-2017.—श्री संजीव कुमार अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को दिनांक 10 से 27 सितम्बर 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव कुमार अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव कुमार अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4972-दो-2-26-2006.—श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से दिनांक 31 अक्टूबर 2015 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C-4976-दो-2-34-2018.—कु. नीना आशापुरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गुना को दिनांक 22 से 24 सितम्बर 2018 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर कु. नीना आशापुरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि कु. नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-4978-दो-2-58-2017.—श्री प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, अनूपपुर को दिनांक 29 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्राणेश कुमार प्राण, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4980-दो-2-44-2009.—श्री जे. के. वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को दिनांक 18 से 20 सितम्बर 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जे. के. वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. के. वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4982-दो-2-20-2016.—श्री दीपक कुमार अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 19 से 22 सितम्बर 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 सितम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री दीपक कुमार अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपक कुमार अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4984-दो-2-67-2018.—श्री बी. एस. दीक्षित, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को दिनांक 16 से 25 अगस्त 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 अगस्त 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 अगस्त 2018 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी. एस. दीक्षित, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एस. दीक्षित, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-5003-दो-2-42-2014.—श्री आर. के. सोनी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 20 से 21 अगस्त 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 एवं 19 अगस्त 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 22 अगस्त 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सोनी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सोनी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2018

क्र. A-3893-दो-2-25-2017.—श्री देवराज बोहरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को दिनांक 15 अक्टूबर 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 अक्टूबर 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 से 21 अक्टूबर 2018 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री देवराज बोहरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री देवराज बोहरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-3895-दो-2-17-2018.—श्री बी. एस. औहरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 15 अक्टूबर 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 अक्टूबर 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 से 21 अक्टूबर 2018 तक सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी. एस. औहरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एस. औहरिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-5644-दो-2-50-2018.—डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीहोर को दिनांक 25 से 28 सितम्बर 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश साहू उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-5646-दो-2-70-2017.—श्री राजेन्द्र चौरसिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को दिनांक 1 से 6 अक्टूबर 2018 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 एवं 8 अक्टूबर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र चौरसिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र चौरसिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-5648-दो-2-70-2017.—श्री राजेन्द्र चौरसिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को दिनांक 3 से 4 अगस्त 2018 तक दो दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में दिनांक 1 से 2 अगस्त 2018 तक दो दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र चौरसिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र चौरसिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-5982-दो-2-18-2016—श्री जी. एस. सलूजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 8 सितम्बर 2018 का एक दिन का, 12 सितम्बर 2018 का एक दिन का, 18 सितम्बर 2018 का एक दिन का, 22 सितम्बर 2018 का एक दिन का, 26 सितम्बर 2018 का एक दिन का, 28 सितम्बर 2018 का एक दिन का तथा दिनांक 29 सितम्बर 2018 का एक दिन का, कुल सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. सलूजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. सलूजा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-5984-दो-2-21-2018.—श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बुरहानपुर को दिनांक 24 से 26 सितम्बर 2018 तक तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-5994-दो-2-3-2018.—श्री राजवर्द्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नीमच को दिनांक 25 से 6 अक्टूबर 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, बारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 एवं 8 अक्टूबर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजवर्द्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजवर्द्धन गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2018

क्र. C-4697-दो-2-28-2017.—श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, लेखा अधिकारी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 9 से 12 अक्टूबर 2018 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 7 एवं 8 अक्टूबर 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 से 21 अक्टूबर 2018 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, लेखा अधिकारी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2018

क्र. C-4784-दो-2-40-2018.—श्री जाकिर हुसैन, रजिस्ट्रार (जे-1), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 22 से 27 सितम्बर 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जाकिर हुसैन, रजिस्ट्रार (जे-1), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जाकिर हुसैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (जे-1), के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2018

क्र. C-4988-दो-2-122-2017.—श्रीमती स्वाति बजाज, ओ.एस.डी., मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 3 से 4 अक्टूबर 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती स्वाति बजाज, ओ.एस.डी., मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती स्वाति बजाज, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो ओ.एस.डी., के पद पर कार्यरत रहतीं.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.